मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

सं. ई-13/12/9/2020-जनसंपर्क

दिनांक : 07.10.2020

प्रेस प्रकाशनी

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान क.रा.बी. निगम द्वारा हितलाभार्थियों को स्थायी नि:शक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ का तुरंत भुगतान।

कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए, क.रा.बी. निगम ने सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के प्रमुखों को प्रत्येक माह बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितों को स्थायी नि:शक्तता हितलाभ ओर आश्रितजन हितलाभों का संवितरण करने के लिए निदेश जारी किया है। सभी क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की अर्जन क्षमता में हानि का पता लगाने के लिए नियमित चिकित्सा बोर्ड के संचालन के साथ संपूर्ण कोविड-19 अवधि के दौरान बिना चूक के बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितजनों को स्थायी नि:शक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के लिए मासिक भुगतान का लगातार संवितरण कर रहे हैं।

राजस्थान में, पिंडवाडा जिला सरोही राजस्थान में कार्य कर रहे सिलिकोसिस/बाइसीनासिस जैसे व्यावसायिक रोगों से पीड़ित 48 क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों के लिए आदर्श अस्पताल, जयपुर में एक चिकित्सा बोर्ड की व्यवस्था की। इससे पूर्व, व्यावसायिक रोगों से पीड़ित बीमाकृत व्यक्तियों की जांच के लिए अन्य चिकित्सा बोर्ड की व्यवस्था भी की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सा बोर्ड का संचालन करने से पूर्व, सभी 48 बीमाकृत व्यक्तियों की पहले कोविड-19 की जांच की गई। चिकित्सा बोर्डों के निर्णय के अनुसार, 85 हितलाभार्थियों जिन्हें व्यावसायिक रोग से पीड़ित पाया गया, के लिए स्थायी नि:शक्तता हितलाभ का प्रारंभ किया गया।

इसके अतिरिक्त, छह मृत बीमाकृत व्यक्ति जिनकी मृत्यु सिलिकोसिस/बाइसीनासिस के कारण हुई, उनके आश्रितों को आश्रितजन हितलाभ का भुगतान भी इस माह से आरंभ किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, रोजगार चोट के कारण 5 मृत्यु के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर एक माह की अल्प अवधि के भीतर अनुमोदन प्रदान किया गया और क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा मृतक बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आश्रितजन हितलाभ का भुगतान करने का निर्णय पहले ही कर लिया गया है।

****